



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क/ एफ-169 / स्ट्रे.आयु./ 2021-22/ 4022

भिलाई, दिनांक २५/१०/२०२१

// आदेश //

छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) का उपयोग करते हुए नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत निर्माण/विकास कार्य/संपत्ति नामांतरण/लीज होल्ड से फी होल्ड संबंधी प्रकरणों का समाचार पत्रों में निविदा सूचना का नियमानुसार प्रकाशन एवं जनसंपर्क विभाग में कार्यालयीन निविदा/विज्ञापन/पेपर बिल हेतु रु. 5,000.00 (रुपये—पांच हजार) तक के देयकों की स्वीकृति नियमानुसार करने व भुगतान हेतु श्री पी.सी. सार्वा, प्र. जनसंपर्क अधिकारी, न.पा.नि. भिलाई को आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(प्रकाश कुमार सर्व)
रा.प्र.से.

आयुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई
भिलाई, दिनांक २५/१०/२०२१

पृ.क./निज सहा/एफ-169/2021-22/ 4023

प्रतिलिपि :—

1. कलेक्टर सह प्रशासक महो., नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त, जोन – 1,2,3,4,5, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री पी.सी.सार्वा प्र. जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. संबंधित विभाग प्रमुख नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई